

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 74/2026

दाखर दिनांक 9/9/2026

1. छीतरलाल पुत्र रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापडबड़ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. अनोप पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापडबड़ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
3. नन्दुबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापडबड़ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
4. सोहनीबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापडबड़ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

किशनलाल पिता रामा जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 4/5/2026

प्रार्थना पत्र में/ हम छीतरलाल पिता रामचन्द्रदास, अनोप, नन्दुबाई, सोहनीबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापडबड़, बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एवं शिवलाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा पापडबड़ पटवार हल्का तिलस्वाँ तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 111 पर आराजी नम्बर 347/226 कुल किता 01 रकबा 0.3380 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई अगड़ा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 स्थायी के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है। भु-अभिलेख निरीक्षक कांस्था को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी वेवक्त प्रार्थी अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजरथान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट मौजा पापडबड़ पटवार हल्का तिलस्वाँ तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 111 पर आराजी नम्बर 347/226 कुल किता 01 रकबा 0.3380 हैक्टेयर भूमि विशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।  
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया



उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 74/2026

प्रेषित :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 74/2026 पत्थरगढी बाबत् ।

दि. दिनांक :- 9/4/2026

नि. दिनांक - 4/5/2026

1. छीतरलाल पुत्र रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापड़बड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. अनोप पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापड़बड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
3. नन्दुबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापड़बड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
4. सोहनीबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी पापड़बड तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थीगण

बनाम

किशनलाल पिता रामा जाति बन्जारा उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा पापड़बड़ पटवार हल्का तिलस्वाँ तहसील बिजौलियाँ, की सरहद में स्थित खाता संख्या 111 पर आराजी नम्बर 347/226 कुल किता 01 रकबा 0.3380 हैक्टेयर भूमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पूर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सूचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड/अधिकारी  
बिजौलिया



# FORM NO. III

## फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा, राजस्थान

द्वीतरलाल

बनाम केशनलाल

किरम मुकदमा/धारा-

111-128

प्रकरण संख्या 74 /2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील जारी हुए
9/09 2026	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक <u>15/11/2026</u> को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p>	
15/11/26	<p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तामील/तलबी आगामी दिनांक <u>21/11/26</u> को पेश हो।</p>	
21/11/26	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक <u>4/12/26</u> को वास्ते तामील/तलबी पेश हो।</p>	
4/12/2026	<p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p> <p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की वाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को उ-वार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को बिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम टोकर दाखिल दफ्तर के।</p>	

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला भीलवाडा